

प्रश्न सं. [क. 1153]

तारोक्त प्रश्न क्र. 1153		परिशिष्ट-1
स्कूल शिक्षा विभाग की शास. शालाओ में कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक जो "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ हैं।		
क्र	जिला	शिक्षकों की संख्या
1	आगरमालवा	0
2	अलीराजपुर	0
3	अनूपपुर	0
4	अशोकनगर	1
5	बड़वानी	0
6	बालाघाट	11
7	बेतूल	8
8	भिंड	4
9	भोपाल	15
10	बुरहानपुर	4
11	छत्तरपुर	2
12	छिंदवाड़ा (पांडुरना जिला सहित)	7
13	दमोह	0
14	दतिया	2
15	देवास	0
16	धार	0
17	डिंडोरी	0
18	गुना	4
19	ग्वालियर	8
20	हरदा	7
21	इंदौर	11
22	जबलपुर	28
23	झाबुआ	0
24	कटनी	6
25	खडवा	8
26	खरगोन	3
27	मंडला	0
28	मन्दसौर	0
29	मुरैना	4
30	नर्मदापुरम	4
31	नरसिंहपुर	2
32	नीमच	3
33	निवाड़ी	0
34	पन्ना	4
35	रायसेन	2
36	राजगढ़	0
37	रतलाम	5
38	रीवा (मऊगंज जिला सहित)	5
39	सागर	0
40	सतना (मैहर जिला सहित)	7
41	सीहोर	3
42	सिवनी	8
43	शहडोल	6
44	शाजापुर	5
45	श्यांपुर	4
46	शिवपुरी	2
47	सीधी	8
48	सिंगरौली	3
49	टीकमगढ़	4
50	उज्जैन	5
51	उमरिया	0
52	विदिशा	2
	Total	215


 अनुमानित अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 भोपाल


 अधिकारी

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023

क्र./अकादमिक/ह.शि./2025/2478
प्रति

भोपाल, दिनांक 31/12/2025

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
समस्त विकास खण्ड।
3. संकुल प्राचार्य, शास० उमावि,
समस्त जिले

विषय-दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षकों के लिए "हमारे शिक्षक" एप द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया का सरलीकरण।

संदर्भ:-संचालनालय का पत्र क्र०/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 दिनांक 20.06.2025 एवं दिनांक 22.08.2025

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। शिक्षकों की सुविधा हेतु "हमारे शिक्षक" ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म विकसित किया जा कर "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से प्रतिदिन ई-अटेन्डेंस दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस संबंध में दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" एप पर उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर निम्नानुसार नियत की जाती है:-

1. एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के अनुसार जो शिक्षक दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनकी सूची विद्यालय के लॉगइन पर प्रदर्शित होगी।
2. विद्यालय के लॉगिन पर संस्था प्रमुख द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक शतप्रतिशत दृष्टिबाधित दिव्यांग है एवं "हमारे शिक्षक" एप पर उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ है।
3. संस्था प्रमुख द्वारा उनके विद्यालय में कार्यरत दृष्टिबाधित दिव्यांग लोक सेवक की दैनिक उपस्थिति संस्था लॉगिन से प्रतिदिन दर्ज की जाएगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा दिनांक 03.01.2026 तक अनिवार्यता पूर्ण की जाएगी। संबंधित दृष्टिबाधित दिव्यांग लोक सेवक की दैनिक उपस्थिति दिनांक 05.01.2026 से आगामी आदेश तक निरंतर संस्था प्रमुख द्वारा संस्था लॉगिन से दर्ज की जाएगी।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अनुभाग अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश
स्कूल शिक्षा विभाग
संचालनालय, भोपाल

03/1/26
(के.के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण स.प्र.